



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी  
सचिव

Prof. Manish R. Joshi  
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission  
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Education, Govt. of India)

## सार्वजनिक सूचना

मि. सं. 1-4/2025(DEB-NER)

29 आश्विन, 1947 /21<sup>st</sup> October, 2025

**Invitation of applications from Eligible Higher Educational Institutions (HEIs) for recognition to offer programmes under Open and Distance Learning (ODL) mode and/or Online mode for academic year 2025-26, academic session beginning February, 2026 and onwards.**

UGC invites fresh online applications from Eligible Higher Educational Institutions (HEIs) as per Regulation 3(A) and Regulation 3(B)(b) of UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments for recognition of programmes under Open and Distance Learning (ODL) mode and/or Online mode for academic year 2025-26, academic session beginning February, 2026 and onwards.

### Application Timeline & Submission Details:

- Online Application Window: **22<sup>nd</sup> October, 2025 till 10<sup>th</sup> November, 2025**
- Application Portal: <https://deb.ugc.ac.in/>
- Hard Copy Submission Deadline for original affidavit: **20<sup>th</sup> November, 2025**
- Submission Address: Joint Secretary, Distance Education Bureau, UGC, 35, Feroze Shah Road, New Delhi - 110001

The HEIs are requested to visit the UGC DEB website at <https://deb.ugc.ac.in/> for the prescribed application fee and for further updates/ announcements in this regard.

Note:-

1. The application submission window is opened throughout the year at <https://deb.ugc.ac.in/> for HEIs entitled to offer Online programmes and Category-I HEIs to offer Open and Distance Learning (ODL) programmes.
2. The mere submission of an application should not be considered as grant of approval and that all application(s) shall be subject to scrutiny with respect to the standards stipulated in the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments.

(मनिष जोशी)

सचिव



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी  
सचिव

Prof. Manish R. Joshi  
Secretary



सत्यमेव जयते



आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Education, Govt. of India)

## सार्वजनिक सूचना

मि. सं. 1-4/2025(डीईबी-एनईआर)

29 आश्विन, 1947 /21 अक्टूबर, 2025

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 हेतु पात्र उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) माध्यम तथा/या ऑनलाइन माध्यम के अंतर्गत कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रण।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा पात्र उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) से यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 तथा उसके संशोधनों के विनियम 3(A) और विनियम 3(B)(b) के अनुसार मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) माध्यम तथा/या ऑनलाइन माध्यम के अंतर्गत कार्यक्रमों की मान्यता के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025-26 (शैक्षणिक सत्र फरवरी, 2026 से प्रारंभ) हेतु नए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

### आवेदन की समय-सीमा एवं प्रस्तुतिकरण विवरण:

- ऑनलाइन आवेदन विंडो: 22 अक्टूबर, 2025 से 10 नवम्बर, 2025 तक
- आवेदन पोर्टल: <https://deb.ugc.ac.in/>
- मूल हलफनामे की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि: 20 नवम्बर, 2025
- प्रेषण का पता:** संयुक्त सचिव, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), 35, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली – 110001

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित आवेदन शुल्क तथा इस संबंध में आगे के अद्यतन/घोषणाओं की जानकारी के लिए यूजीसी डीईबी वेबसाइट <https://deb.ugc.ac.in/> को देखें (विजिट करें)।

### नोट:

- ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित करने के पात्र उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (HEIs) तथा श्रेणी -I उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों —(HEIs) के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम संचालित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की विंडो <https://deb.ugc.ac.in/> पर वर्ष भर खुली रहती है।
- केवल आवेदन प्रस्तुत करना स्वीकृति का आधार नहीं माना जाएगा। सभी आवेदन यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 तथा उसके संशोधनों में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार जांच एवं परीक्षण के अधीन होंगे।

(मनिष जोशी)

सचिव